संख्या-14/2017/2710/60-1-17-1/13(125)17

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 26 सितम्बर, 2017**

विषय-: महिला कल्याण विभाग में मण्डल एवं जनपद स्तरीय विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु सोशल सेक्टर के अन्य अधिकारियों को नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला परिवीक्षा अधिकारी के पद सृजित है। कुछ जनपदों में विभागीय अधिकारी तैनात नहीं है। उन मण्डल/जनपदों में सोशल सेक्टर के अधिकारियों को कार्य का दायित्व दिया जाना है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तरीय कार्यो के सम्पादन हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है :-

(1) जिन मण्डल/जनपदों में महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों के पद रिक्त है। उन जनपदों में सोशल सेक्टर के अधिकारियों यथा-जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रभार दिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) जिन मण्डल/जनपदों में सोशल सेक्टर का कोई भी अधिकारी तैनात नहीं है। उन जनपदों में जिला अधिकारी को ही अधिकार होगा कि वे किसी उप जिलाधिकारी को प्रभार दिया जाये।

3- उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या-14/2017/2710(1)/60-1-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्प संख्यक कल्याण विभाग/विकलांग कल्याण विभाग/बाल विकास पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक, महिला कल्याण/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण/विकलांग कल्याण/बाल विकास पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4- गार्ड फाइल।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।